

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
अंशालय

बालनम भवन, भोपाल-462004
* * * * *

क्रमांक एच 73-47/20-3/2003

भोपाल, दिनांक 20-6-03

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रोत बिल्डर, नई दिल्ली ।


विषय :- अशासकीय विद्यापीठों द्वारा पाबरा विद्यापीठ नरसिंहपुर को सी. बी. एस. ई. से सम्बन्धता हेतु अनु. प्रो. सी. देने का प्रश्न ।

* * 00 * *

राज्य शासन द्वारा अशासकीय विद्यापीठ नरसिंहपुर को सी. बी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुमति प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि शिक्षा विभाग अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के बजीएक [पररीक्षा] को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा ।
2. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को शामिल करना होगा
3. मध्य शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
4. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके विस्तृत डेल बरिसर या मदन को आवश्यकता पड़ेगी है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर


PRINCIPAL
Chavara Vidyapeeth
Affil. No. : 1030197
Kheri, Narsinghpur, M.P. 487001

राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या मन्त्र
या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होती तो उन्हीं उपकरणों का
योग्य होगा।

बिहार प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
क्या आदेश/पत्र

MY 6/10/03
28/6/03

[२५० २५० प्राप्ति]

उपर तमिल

५०५० शासन, तमिल विद्या विभाग,

५०५० स्क्र ७७-५७/२०-५/२००३

नीचाल, दिनांक ३०-६-०३

प्रतिनिधि :-

1. डॉ. सुब्रह्मण्य, तमिल विद्या, ५०५० नीचाल ।
2. जिला विद्या अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, ५०५० ।
3. प्राचार्य, पब्लिक विद्यापीठ, नरसिंहपुर - ५०७००१, पी. डा. नं. ३०, ५०५०
की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अत्रोक्ति है ।

MY 6/10/03
28/6/03
उपर तमिल

५०५० शासन, तमिल विद्या विभाग.


PRINCIPAL
Chavara Vidyapeeth
Affil. No. : 1030197
Kheri, Narsinghpur, M.P. 487001